

प्रेषक,

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास,

पशु पालन विभाग,

लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,

कानपुर नगर/कानपुरदेहात/कन्नौज/औरैया/इटावा/फर्रुखाबाद/मुजफ्फर नगर/
शामली/सहारनपुर/आजमगढ़/मऊ/झांसी/जालौन/चित्रकूट/बांदा/हमीरपुर/
महोबा/बरेली/पीलीभीत/बदायूँ/अलीगढ़/एटा/फैजाबाद/अमेठी/हापुड़/बुलन्द
शहर/गौतमबुद्धनगर/गाजियाबाद/मेरठ/फतेहपुर/कौशाम्बी/हरदोई/उन्नाव/
मैनपुरी/आगरा/मथुरा/फिरोजाबाद/जौनपुर/सोनभद्र/रामपुर/अमरोहा/देवरिया/
कुशीनगर/महराजगंज।

पत्रांक: 1091/प-2/।।एफ (417)/2014-15

दिनांक: 28.10.2015

विषय:-राष्ट्रीय कृषि विकास की उपयोजना **“अतिरिक्त चारा उत्पादन कार्यक्रम”** के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय पत्र संख्या-215/बजट/29(5)/अनु0-11/01/2015-16 दिनांक-20.10.15 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास की **“अतिरिक्त चारा उत्पादन कार्यक्रम”** के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन किया गया है। आवंटित धनराशि का उपयोग निम्न दिशा निर्देशों के अधीन किया जाय :-

- 1- आवंटित धनराशि का उपयोग क्षेत्र में पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन हेतु किया जाना है।
- 2- हरा चारा उत्पादन हेतु प्रमाणित जई चारा बीज/बरसीम चारा बीज, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों/केन्द्र/राज्य सरकार की सरकारी/सहकारी संस्थाओं से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है।
- 3- योजना अन्तर्गत लघु/सीमांत पशु पालकों को चयन में वरीयता दी जायेगी। न्यूनतम 0.1 हे0 भूमि एवं इसके गणन में चारा उत्पादन करने में सक्षम लाभार्थियों का चयन किया जाय। अधिकतम 2 हे0 तक भूमि हेतु एक लाभार्थी को चारा बीज उपलब्ध कराया जा सकता है।
- 4- इच्छुक कामधेनु/मिनी कामधेनु/माइक्रो कामधेनु के लाभार्थियों को चारा बीज एवं उर्वरक निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध कराया जाय।
- 5- लाभार्थी का चयन निम्न समिति द्वारा किया जाना है :-
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी-अध्यक्ष
सम्बन्धित उपमुख्य मुख्य पशु चिकित्साधिकारी-सदस्य/सचिव
सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी-सदस्य
- 6- जनपदवार चारा उत्पादन हेतु आच्छादित होने वाला क्षेत्रफल एवं जनपदवार लाभार्थियों की संख्या **परिशिष्ट-एक** पर संलग्न है।
- 7- अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों को उपलब्धता के आधार पर शासन के निर्देशानुसार 20 प्रतिशत की सीमा तक लाभान्वित किया जाय।

- 8- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को भी चयन में वरीयता दी जाय।
- 9- परिशिष्ट-एक में जनपदवार लाभार्थियों की संख्या प्रति लाभार्थी 0.10 हेक्टेयर के आधार पर दर्शायी गई है। अतः यदि जनपद में ऐसे भी लाभार्थियों का चयन किया जाता है, जो 0.10 हे० से अधिक क्षेत्रफल में तथा 0.10 हे० के गुणांक में चारा उत्पादन करने में सक्षम हो तो जनपद में लाभार्थियों की संख्या परिशिष्ट-एक में दर्शाये गये लाभार्थियों की संख्या से कम हो जायेगी लेकिन जनपद में चारा उत्पादन हेतु आच्छादित होने वाले क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं आयेगी अर्थात् जनपद में चारा उत्पादन हेतु परिशिष्ट-एक में दर्शाया गया क्षेत्रफल यथावत् रहेगा।
- 10- चयन किये जाने वाले लाभार्थियों के पास उपलब्ध भूमि का सत्यापन जोत बही/किसान बही से अवश्य कर लिया जाय।
- 11- एक लाभार्थी को 0.1 हे० में बुवाई हेतु 08 किग्रा० जई चारा बीज एवं 02 किग्रा० बरसीम चारा बीज उपलब्ध कराया जायेगा। अधिकतम 2 हे० में चारा उत्पादन हेतु चारा बीज उपलब्ध कराया जा सकता है।
- 12- 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल में बुवाई हेतु उक्त के गुणांक में चारा बीज उपलब्ध कराया जायेगा।
- 14- 43-सामग्री सम्पूर्ति मद में आवंटित धनराशि का व्यय/भुगतान परिशिष्ट-2 पर संलग्न विवरणानुसार किया जायेगा। चारा बीज का भुगतान करने के उपरान्त अवशेष धनराशि से यूरिया का क्रय सरकारी/सहकारी संस्था से कर पशु पालक को उपलब्ध कराया जायेगा। जई बीज के साथ प्रति लाभार्थी को 0.1 हे० क्षेत्रफल में बुवाई हेतु 08 किग्रा० जई चारा बीज एवं रू० 56.00 की कीमत के बराबर यूरिया दिया जायेगा। इसी प्रकार 01 हे० से अधिक क्षेत्रफल में बुवाई हेतु उक्त मानक के अनुसार चारा बीज एवं यूरिया उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार प्रति लाभार्थी 0.1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुवाई हेतु 02 किग्रा० बरसीम चारा बीज के साथ रू० 24.00 की कीमत के बराबर यूरिया उपलब्ध कराया जायेगा।
- 15- 42-अन्य व्यय में आवंटित धनराशि सूचनाओं के प्रेषण (सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी), अभिलेखीय करण इत्यादि पर व्यय किया जायेगा।
- 16- सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आवंटित चारा उत्पादन किटों का विवरण निम्न प्रारूप पर अपने चिकित्सालय पर रखेंगे।

क्र० सं०	लाभार्थी का नाम एवं पिता का नाम एवं मो०नं०	पूर्ण पता	लाभार्थी की श्रेणी	लघु/सीमान्त/अन्य कृषक	चारा उत्पादन हेतु आच्छादित होने वाला क्षेत्रफल	चारा बीज किट का नाम जई/बरसीम	वितरण की तिथि	बुवाई की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 17- सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी समय-समय पर लाभार्थी द्वारा बोये गये क्षेत्रफल का निरीक्षण करेंगे तथा अपनी निरीक्षण आख्या मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को प्रेषित करेंगे।
- 18- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि योजना का क्रियान्वयन जनपद में सफलता पूर्वक कराये, यदि किसी भी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता

- पायी जाती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा। योजना की प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूपों पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- 19— जनता के बीज कार्यक्रम का व्यापक प्रचार एवं प्रसार कराया जाय जिससे अधिक से अधिक पशुपालक लाभ उठा सके। योजना का Impact assessment एवं उसका समुचित फीड बैक उपलब्ध कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा। योजना का कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना के कार्यों की पूर्णता का पूरा विवरण मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- 20— योजना अन्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रारूप पर तत्काल उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा।
- 21— आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि आवंटित की गयी है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- 22— योजना को निर्वाध गति एवं सफल संचालन हेतु निदेशालय के अधिकारियों द्वारा समय—समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा।
- 23— विस्तृत कार्य योजना एवं गार्ड—लाइन विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
संलग्न—उपरोक्तानुसार। भवदीय,

(डा० राजेश बाबू),
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

- पत्रांक /प-2/ ।।।एफ (417)/2014-15 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1— समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग।
 - 2— वित्त नियन्त्रक, मुख्यालय।
 - 3— नोडल अधिकारी, आर०के०वी०वाई०, कृषि भवन, लखनऊ।
 - 4— कृषि निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 5— विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा० राजेश बाबू),
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

सूखा ग्रस्त 44 जनपदों में लाभार्थियों की संख्या एवं भौतिक लक्ष्य का
विवरण:-

क्र०सं०	जनपद का नाम	आच्छादित क्षेत्रफल (हे०)			बीज की मात्रा कुं० में		लाभार्थी की संख्या
		जई	बरसीम	योग	जई	बरसीम	
1	2	3	4	5	9	10	11
1	कानपुर नगर	40	60	100	32	12	1000
2	कानपुर देहात	60	90	150	48	18	1500
3	कन्नौज	60	90	150	48	18	1500
4	औरैया	60	90	150	48	18	1500
5	इटावा	60	90	150	48	18	1500
6	फर्रुखाबाद	40	60	100	32	12	1000
	योग कानपुर	320	480	800	256	96	8000
7	मुजफ्फरनगर	100	150	250	80	30	2500
8	शामली	100	150	250	80	30	2500
9	सहारनपुर	150	100	250	120	20	2500
	योग सहारनपुर	350	400	750	280	80	7500
10	आजमगढ़	60	90	150	48	18	1500
11	मऊ	60	90	150	48	18	1500
	योग आजमगढ़	120	180	300	96	36	3000
12	झाँसी	40	60	100	32	12	1000
13	जालौन	40	60	100	32	12	1000
	योग झाँसी	80	120	200	64	24	2000
14	चित्रकूट	40	60	100	32	12	1000
15	बौदा	40	60	100	32	12	1000
16	हमीरपुर	40	60	100	32	12	1000
17	महोबा	40	60	100	32	12	1000
	योग चित्रकूट	160	240	400	128	48	4000
18	बरेली	80	120	200	64	24	2000
19	पीलीभीत	80	120	200	64	24	2000
20	बदायूँ	80	120	200	64	24	2000
	योग बरेली	240	360	600	192	72	6000
21	अलीगढ़	60	90	150	48	18	1500
22	एटा	60	90	150	48	18	1500
	योग अलीगढ़	120	180	350	96	36	3000
23	फैजाबाद	60	90	150	48	18	1500
24	अमेठी	60	90	150	48	18	1500
	योग फैजाबाद	120	180	300	96	36	3000
25	हापुड़	60	90	150	48	18	1500

26	बुलन्दशहर	100	150	250	80	30	2500
27	गौतमबुद्धनगर	40	60	100	32	12	1000
28	गाजियाबाद	60	90	150	48	18	1500
29	मेरठ	60	90	150	48	18	1500
	योग मेरठ	320	480	800	256	96	8000
30	फतेहपुर	80	120	200	64	24	2000
31	कौशाम्बी	60	90	150	48	18	1500
	योग इलाहाबाद	140	210	350	112	42	3500
32	हरदोई	60	90	150	48	18	1500
33	उन्नाव	60	90	150	48	18	1500
	योग लखनऊ	120	180	300	96	36	3000
34	मैनपुरी	80	120	200	64	24	2000
35	आगरा	80	120	200	64	24	2000
36	मथुरा	60	90	150	48	18	1500
37	फिरोजाबाद	60	90	150	48	18	1500
	योग आगरा	280	420	7000	224	84	7000
38	जौनपुर	60	90	150	48	18	1500
	योग वाराणसी	60	90	150	48	18	1500
39	सोनभद्र	40	60	100	32	12	1000
	योग मिर्जापुर	40	60	100	32	12	1000
40	रामपुर	80	120	200	64	24	2000
41	अमरोहा	80	120	200	64	24	2000
	योग मुरादाबाद	160	240	400	128	48	4000
42	देवरिया	40	60	100	32	12	1000
43	कुशीनगर	40	60	100	32	12	1000
44	महराजगंज	40	60	100	32	12	1000
	योग गोरखपुर	120	180	300	96	36	3000
	कुल योग	2750	4000	6750	2200	800	67500

परिशिष्ट-2

कार्यालय पत्र सं०-215/बजट/29(5)/अनु०-11/01/2015-16 दिनांक-20.10.2015 द्वारा आवंटित धनराशि के व्यय हेतु विवरण

क० सं०	जनपद का नाम	आहरण वितरण अधिकारी	मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में आवंटित धनराशि का विवरण						42-अन्य व्यय	कुल योग
			जई बीज	यूरिया	योग	बरसीम बीज	यूरिया	योग		
1	कानपुर नगर	मु०प०चि०अ०	105600	22400	128000	177600	14400	1,92,000	1000	3,21,000
2	कानपुर देहात	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
3	कन्नौज	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
4	औरैया	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
5	इटावा	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
6	फर्रुखाबाद	मु०प०चि०अ०	105600	22400	128000	177600	14400	1,92,000	1000	3,21,000
7	मुजफ्फरनगर	मु०प०चि०अ०	264000	56000	320000	444000	36000	4,80,000	1000	8,01,000
8	शामली	मु०प०चि०अ०	264000	56000	320000	444000	36000	4,80,000	1000	8,01,000
9	सहारनपुर	मु०प०चि०अ०	396000	84000	480000	296000	24000	3,20,000	1000	8,01,000
10	आजमगढ	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
11	मऊ	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
12	झोंसी	मु०प०चि०अ०	105600	22400	128000	177600	14400	1,92,000	1000	3,21,000
13	जालौन	मु०प०चि०अ०	105600	22400	128000	177600	14400	1,92,000	1000	3,21,000
14	चित्रकूट	मु०प०चि०अ०	105600	22400	128000	177600	14400	1,92,000	1000	3,21,000
15	बौदा	मु०प०चि०अ०	105600	22400	128000	177600	14400	1,92,000	1000	3,21,000
16	हमीरपुर	मु०प०चि०अ०	105600	22400	128000	177600	14400	1,92,000	1000	3,21,000
17	महोबा	मु०प०चि०अ०	105600	22400	128000	177600	14400	1,92,000	1000	3,21,000
18	बरेली	मु०प०चि०अ०	211200	44800	256000	355200	28800	3,84,000	1000	6,41,000
19	पीलीभीत	मु०प०चि०अ०	211200	44800	256000	355200	28800	3,84,000	1000	6,41,000
20	बदायूँ	मु०प०चि०अ०	211200	44800	256000	355200	28800	3,84,000	1000	6,41,000
21	अलीगढ	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
22	एटा	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
23	फैजाबाद	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
24	अमेठी	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
25	हापुड़	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
26	बुलन्दशहर	मु०प०चि०अ०	264000	56000	320000	444000	36000	4,80,000	1000	8,01,000
27	गौतमबुद्धनगर	मु०प०चि०अ०	105600	22400	128000	177600	14400	1,92,000	1000	3,21,000
28	गाजियाबाद	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
29	मेरठ	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
30	फतेहपुर	मु०प०चि०अ०	211200	44800	256000	355200	28800	3,84,000	1000	6,41,000
31	कौशाम्बी	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
32	हरदोई	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
33	उन्नाव	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
34	मैनपुरी	मु०प०चि०अ०	211200	44800	256000	355200	28800	3,84,000	1000	6,41,000
35	आगरा	मु०प०चि०अ०	211200	44800	256000	355200	28800	3,84,000	1000	6,41,000
36	मथुरा	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
37	फिरोजाबाद	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
38	जौनपुर	मु०प०चि०अ०	158400	33600	192000	266400	21600	2,88,000	1000	4,81,000
39	सोनभद्र	मु०प०चि०अ०	105600	22400	128000	177600	14400	1,92,000	1000	3,21,000
40	रामपुर	मु०प०चि०अ०	211200	44800	256000	355200	28800	3,84,000	1000	6,41,000
41	अमरोहा	मु०प०चि०अ०	211200	44800	256000	355200	28800	3,84,000	1000	6,41,000
42	देवरिया	मु०प०चि०अ०	105600	22400	128000	177600	14400	1,92,000	1000	3,21,000
43	कुशीनगर	मु०प०चि०अ०	105600	22400	128000	177600	14400	1,92,000	1000	3,21,000
44	महराजगंज	मु०प०चि०अ०	105600	22400	128000	177600	14400	1,92,000	1000	3,21,000
कुल योग-			7260000	1540000	8800000	11840000	960000	1,28,00000	44,000	2,16,44000

ANNEXURE-I

FORMAT FOR SUBMITTING PROPOSAL FOR ADDITIONAL FODDER DEVELOPMENT PROGRAMME (AFDP)

1. Name of Division:.....

2..Financial Year of Action Plan..... 3.Name of the Districts to be covered:

Details of the component	Unit Cost (Rs.)	Total Coverage (in ha.)	Total No of items distributed
2	3	4	5
Distribution of Fodder Production Kit			

Details of the Component	Farmers/Beneficiaries' Details							
	Small	Marginal	SC	ST	Women	SHG/coperatives /Others	Total(6 +7+8+9 +10+11	Total cost (col.3X Col.5)
2	6	7	8	9	10	11	12	13
Distribution of fodder Poroduction Kit								

Consolidated Financial Assistance needed through RKVY:

Details of the proposed interventions	Area coverage in ha.	proposed financial Assistance
Distribution of fodder production kit		

ANNEXURE-II**FORMAT FOR SUBMITTING PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS****Physical Progress:**

Details of the component	Total No Of Units	Total Coverage (in ha.)	Total No of items distributed
2	3	4	5
Distribution of Fodder Production Kit			

Details of the Component	Actual no of Farmers/Beneficiaries							Actual Coverage Area in ha.
	Small	Marginal	SC	ST	Women	SHG/cooperatives /Others	Total(6+7+8+9+10+11)	
2	6	7	8	9	10	11	12	13
Distribution of fodder Poroduction Kit								

Consolidated Physical Progress:

Details	Remarks for shortfall etc.
Distribution of fodder Poroduction Kit	